राजस्थान सरकार

<u>निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांक :– एफ4(ई)एस–881/2013/अलेसे–III/964 दिनांक :– 23.08.2022

## कार्यालय आदेश

श्री शशिकान्त शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 11614) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल जीवन मिशन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को एन.टी.ए. द्वारा आयोजित यू.जी.सी. नेट परीक्षा दिसम्बर 2021 एवं जून 2022 (Merged Cycle) विषय वाणिज्य में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
2 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
4 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ4(ई)एस–881/2013/अलेसे–III/964 दिनांक :– 23.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय ............................................................................।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक ............................................................................................ ।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)